उत्तराखण्ड शासन
आबकारी अनुभाग
संख्या 142 /XXIII/2010/64/2009
देहरादून : दिनांक : 05 मार्च, 2010

अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन्, 1904) (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 सपठित उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 की धारा 40 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड राज्य में देशी एवं विदेशी मदिरा एवं बियर की फुटकर बिक्री को विनियमित करने की दृष्टि से वित्तीय वर्ष 2010–11 के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं :–

यह नियम दिनांक 01 अप्रैल, 2010 से 31 मार्च, 2011 तक प्रभावी रहेंगे।

1. मदिरा दुकानों से कुल राजस्व का निर्धारण :–

दुकानवार देशी/विदेशी मदिरा दुकानों का कुल राजस्व (न्यूनतम् प्रत्याभूत ड्यूटी तथा लाईसेंस फीस की राशि का योग) का निर्धारण वर्ष 2009–10 का कुल राजस्व तथा फरवरी तक 20% उठान के न्यूनतम प्रत्याभूत अभिकर (एम०जी०डी०) तथा अतिरिक्त उठान के राजस्व को जोड़कर दुकानवार कुल राजस्व में निम्नानुसार वृद्धि करके निर्धारित किया जायेगा।

दुकानों पर कुल राजस्व की वृद्धि वर्ष 2009–10 में प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या के आधार पर निम्नानुसार की जायेगी :–

क्र0स0	प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	वृद्धि
(1)	जिन दुकानों पर 0 से 1 तक आवेदन पत्र प्राप्त हुये	5 प्रतिशत
(2)	जिन दुकानों पर 2 से 4 तक आवेदन पत्र प्राप्त हुये	10 प्रतिशत
(3)	जिन दुकानों पर 5 से 9 तक आवेदन पत्र प्राप्त हुये	12 प्रतिशत
(4)	जिन दुकानों पर 10 से 14 तक आवेदन पत्र प्राप्त हुये	15 प्रतिशत
(5)	जिन दुकानों पर 15 से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त हुये	17 प्रतिशत

2. मदिरा दुकानों की लाईसेंस फीस का निर्धारण :–

वर्ष 2010–11 हेतु देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों की लाईसेंस फीस प्रस्तर –1 के अनुसार निर्धारित कुल राजस्व के क्रमशः 11 प्रतिशत एवं 15 प्रतिशत के बराबर निकटतम रू0 1000/– के पूर्णांक पर निर्धारित की जायेगी। रूपये 45.00 लाख से अधिक लाईसेन्स फीस होने की स्थिति में रूपये 45.00 लाख व्यवस्थापन के समय एकमुश्त तथा शेष धनराशि मासिक किश्तों में माह सितम्बर, 2010 तक या उससे पूर्व वसूल की जाएगी।

3. मदिरा के अतिरिक्त उठान पर देय लाईसेंस फीस :–

वर्ष के दौरान दुकानवार निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी की राशि के सापेक्ष अनुमन्य सीमा से अधिक मदिरा की बिक्री पर अतिरिक्त न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी तथा निम्नलिखित दरों पर लाइसेन्स फीस देय होगी :–

देशी मदिरा................................रू0 11/– प्रति बल्क लीटर ।
विदेशी मदिरा.............................रू0 22/– प्रति बोतल।

4. **मदिरा दुकानों की न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी का निर्धारण :–**

उपरोक्त प्रस्तर–1 के अन्तर्गत निर्धारित कुल राजस्व में से प्रस्तर–2 के अन्तर्गत निर्धारित लाईसेंस फीस की धनराशि को घटाकर निर्धारित किया जायेगा।निकासी हेतु वर्ष 2010–11 के लिये निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत अभिकर की राशि के सापेक्ष देशी मदिरा के प्रति बल्क लीटर तथा विदेशी मदिरा की प्रति बोतल के आधार पर निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत अभिकर की राशि के विपरीत दुकानवार मदिरा की निकासी प्राप्त की जा सकेगी।

5. **मदिरा दुकान के व्यवस्थापित मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत अभिकर (एम०जी०डी०) से 20% अतिरिक्त उठान :–**

देशी/विदेशी मदिरा की किसी भी दुकान के व्यवस्थापन के समय तय न्यूनतम प्रत्याभूत अभिकर के वार्षिक राशि के 1/12 भाग के बराबर राशि के 20 (बीस प्रतिशत) प्रति माह अतिरिक्त उठान पर न्यूनतम प्रत्याभूत अभिकर नहीं लिया जायेगा,

परन्तु यह कि उपरोक्त प्रस्तर–3 के अनुसार अतिरिक्त लाईसेंस फीस ली जायेगी।

परन्तु यह और कि यदि यह मासिक अतिरिक्त उठान माह में नहीं उठाया गया तो उसे अगले माहों में उठाने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी ।

6. **देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों का आवंटन :–**

उपरोक्त व्यवस्था के अनुसार दुकानवार आबकारी आयुक्त द्वारा निर्गत विज्ञप्ति के अनुसार देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकान चलाने हेतु निर्धारित प्ररूप पर आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायेंगे। ऐसे आवेदन पत्र जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में जमा करने होंगे। आवंटन की समस्त अग्रेत्तर कार्यवाही जिलाधिकारी द्वारा सम्पन्न की जायेगी। प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ रू0 13,000/– की फीस नकद अथवा उत्तराखण्ड राज्य स्थित किसी अनुसूचित राज्य एवं जिला सहकारी बैंक, अरबन कौपरेटिव बैंक अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक का बैंक ड्राफ्ट प्रक्रिया शुल्क के रूप में सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी के नाम से जमा कराना होगा, जो प्रार्थना पत्र निर्धारित प्ररूप में नहीं होंगे तथा आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले बैंक ड्राफ्ट (अर्नेस्ट मनी सहित) आबकारी नीति घोषित होने की तिथि से पूर्व के होंगे, ऐसे आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा और उन्हें सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जायेगा। आवेदन–पत्र

शुल्क (प्रोसेसिंग फीस) नॉन रिफन्डेबिल होगी। प्रोसेसिंग फी राजकोष में अद्यतन निर्धारित प्रक्रिया से जमा की जायेगी। दुकान जिस तहसील के अन्तर्गत आती हो, उसी तहसील के स्थायी निवासियों के आवेदन पत्र सम्बन्धित दुकान हेतु स्वीकार किये जायेंगे। जहां एक दुकान के लिये एक ही आवेदक हो, उसे लाटरी प्रक्रिया प्रारम्भ होने से पूर्व दुकान आवंटित की जायेगी तथा एक से अधिक आवेदकों की दशा में लाटरी द्वारा आवंटन किया जायेगा। पूरे राज्य मे एक आवेदक को एक से अधिक देशी/विदेशी मदिरा की दुकान आवंटित नही की जायेंगी। देशी/विदेशी मदिरा की दुकानों के व्यवस्थापन हेतु उपरोक्त प्रक्रिया दो चरणों तक अपनाई जायेगी।

उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार दो चरणों में भी यदि दुकान व्यवस्थापित नहीं हो पाती है तो पात्रता की अन्य शर्तें समान रहते हुये जिले के निवासी दुकान हेतु पात्र माने जायेंगे। यदि तृतीय चरण के उपरान्त भी दुकान व्यवस्थापित नहीं हो पाती है एवं कोई पात्र व्यक्ति जिलाधिकारी के समक्ष निर्धारित राजस्व पर दुकान लेने के लिये आवेदन करता है, ऐसी स्थिति में जिलाधिकारी द्वारा दुकान का आवंटन प्रथम आवक प्रथम पावक के सिद्धान्त के अनुसार किया जायेगा;

परन्तु यदि वित्तीय वर्ष 2010–11 की किसी अवधि में दुकान व्यवस्थापन की प्रक्रिया में समय लगता है तो व्यवस्थापन की अवधि में दुकान दैनिक आधार पर भी चलायी जा सकती है;

परन्तु यह और कि यदि उपरोक्त प्रक्रिया में कोई देशी/ विदेशी मदिरा की दुकान अव्यवस्थापित रह जाती है तो उसके व्यवस्थापन के लिए यदि उपरोक्त प्रक्रिया से विचलन की आवश्यकता हो तो शासन की पूर्वानुमति से आबकारी आयुक्त द्वारा इन दुकानों के व्यवस्थापन हेतु सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी के स्तर पर आफर मांग कर एवं जिलाधिकारी स्तर पर निगोसियेशन के उपरान्त प्राप्त अधिकतम राजस्व आफर पर दुकानों को व्यवस्थापित कराया जा सकेगा।

7. **मदिरा दुकानों के व्यवस्थापन कार्य का कम्प्यूटरीकरण :–**

आबकारी विभाग, उत्तराखण्ड में देशी/विदेशी मदिरा दुकानों के व्यवस्थापन हेतु ऑन लाईन (On Line) आवेदन पत्र प्राप्त करने तथा इसके आगे की व्यवस्थापन का कार्य पीपीपी मोड (P P P MODE) में कम्प्यूटरीकृत किया जायेगा। सफल कम्प्यूटरीकरण करने की दशा में प्राईवेट पार्टनर को प्रति आवेदन पत्र फीस सीधे आवेदनकर्ता से प्राप्त किया जाना अनुमन्य होगा। कम्प्यूटरीकरण में आवेदन का प्राप्त किया जाना, लाटरी शुल्क का जमा होना, धरोहर धनराशि का जमा होना, आवेदक को प्राप्ति रसीद दिया जाना, आवेदन पत्रों की संवीक्षा (Scrutiny)/छंटाई (Sorting), इत्यादि का कार्य सम्मिलित होगा;

परन्तु यह कि लाटरी पर्ची द्वारा ही निकाली जाएगी। लाटरी के उपरांत दुकानों का व्यवस्थापन किया जाना, दुकानों के व्यवस्थापन सम्बन्धी आदेश

निर्गत किया जाना आदि कार्य भी कम्प्यूटरीकृत होंगे। उपरोक्त कार्य नियमानुसार उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमेंट) नियमावली, 2008 के प्राविधानों के अधीन कराया जाएगा। यदि किसी कारणवश समयाभाव में उपरोक्त कम्प्यूटरीकरण संभव न हो, तो इस प्रस्तर की व्यवस्थाएं कम्प्यूटरीकरण के बिना सुनिश्चित की जा सकेगी तथा आगामी वर्ष 2011–12 में इसे लागू किया जाएगा।

8. **मदिरा दुकानों की बिक्री की समय अवधि :–**

राज्य में दुकानों के खुलने का समय 11.00 बजे प्रातः से रात्रि 9.00 तक रहेगा।

9. **दुकानों से विक्रित मदिरा के मूल्य की रसीद हेतु व्यवस्था :–**

देहरादून / नैनीताल / उधमसिंनगर / हरिद्वार जनपदों में सर्वाधिक लाईसेंस फीस वाली विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों को रसीद देने हेतु व्यवस्था करनी अनिवार्य होगी।

10. **दुकानों से देशी / विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की सीमा :–**

देशी व विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों से फुटकर बिक्री की अधिकतम सीमा (स्वयं के वास्तविक उपभोग हेतु) निम्नानुसार होगी :–

(1)	भारत निर्मित विदेशी मदिरा	3.00 बल्क लीटर
(2)	बीयर	5.2 बल्क लीटर
(3)	वाईन	9 बल्क लीटर
(4)	देशी मदिरा	3.00 बल्क लीटर

11. **अहाता की व्यवस्था :–**

देशी मदिरा की फुटकर दुकानों पर उपभोक्ताओं के बैठने हेतु अहाता (कैन्टीन) में गिलास, पानी, बर्फ, सोडा, स्नैक्स आदि की व्यवस्था अनुज्ञापी द्वारा की जायेगी, जिसके लिये अहाता (कैन्टीन) का वार्षिक शुल्क नगर पालिका / नगर महापालिका क्षेत्रों में रू० 10,000 / – प्रति दुकान एवं टाउन एरिया व ग्रामीण क्षेत्रो में रू० 5,000 / – प्रति दुकान निर्धारित किया जाता है।

12. **विलम्बित प्रतिभूति पर दण्डक ब्याज :–**

फुटकर अनुज्ञापियों द्वारा वर्ष के प्रारम्भ में जमा की जाने वाली प्रतिभूति (नकद / बैंक गारन्टी के रूप में) विलम्ब से जमा किये जाने पर 18 प्रतिशत की दर से दण्डक ब्याज देय होगा।

13. **अग्रिम जमा प्रत्याभूति का समायोजन :–**

फुटकर अनुज्ञापियों द्वारा वर्ष के प्रारम्भ मे अग्रिम रूप में जमा की गयी राशियों को वर्ष के अन्तिम माहों मे अनुज्ञापी की देयताओं के विरूद्ध समायोजित कर लिया जायेगा।

14. **मदिरा के अवशेष स्टाक के निस्तारण के सम्बंध में :–**

वित्तीय वर्ष की समाप्ति की तिथि पर मदिरा की फुटकर दुकानों पर अवशेष स्टॉक का हस्तान्तरण पूर्व अनुज्ञापी द्वारा नये अनुज्ञापी को पूर्व वर्ष की एफ0एल0–2 दरों पर किया जायेगा। नया अनुज्ञापी इस मदिरा की बिक्री एक माह के भीतर गत वर्ष की एम0आर0पी0 पर सुनिश्चित करेगा। ऐसे स्टाक को दुकान की न्यूनतम प्रत्याभूत अभिकर (एम०जी०डी०) के विपरीत समायोजित नहीं किया जायेगा किन्तु यदि यह स्टाक किसी कारणवश एक माह के उपरान्त भी अविक्रित बच जाता है, तो इस स्टाक पर चलित वर्ष की दरों पर न्यूनतम प्रत्याभूत अभिकर (एम०जी०डी०) एवं निर्धारण फीस (एसेस्मेंट फीस) देय होगी।

15. **गढ़वाल मंडल के पाँच जनपदों में विदेशी मदिरा की दुकानों का व्यवस्थापन :–**

गढ़वाल मंडल के पाँच जनपदों (पौड़ी/टिहरी/उत्तरकाशी/रूद्रप्रयाग/चमोली) में विदेशी मदिरा की दुकानों का संचालन गतवर्ष की भाँति किया जायेगा।

16. **जिलों में दुकान का स्थान परिवर्तन व नई दुकानें :–**

जिलाधिकारियों द्वारा दुकान रहित स्थानों में स्वविवेकानुसार दुकान खोलने के निर्णय लिये जा सकेंगें;

परन्तु यह कि नई दुकानों को खोलने से पूर्व दुकान खोलने के औचित्यपूर्ण प्रस्ताव पर आबकारी आयुक्त के माध्यम से शासन की पूर्वानुमति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी। फुटकर दुकान की अवस्थिति (लोकेशन) शासनादेश संख्याः 311/XXIII/2008/18/2008 दिनांक 16.06.2008 की व्यवस्था के अनुसार रखी जायेगी।

17. **जनपद में मदिरा दुकान को बन्द करना :–**

जिलों में देशी एवं विदेशी मदिरा की पुरानी दुकानों को बन्द करने के सम्बन्ध में भी जिलाधिकारियों को जनपद की आवश्यकतानुसार स्वविवेकानुसार उपरोक्त प्रस्तर 17 में उल्लिखित मानको के अनुरूप निर्णय लेने हेतु अधिकृत किया जाता है;

परन्तु यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसी स्थिति में न तो सम्बन्धित जिलों का आवंटित राजस्व कम होगा और न ही कोई क्षेत्र दुकान रहित होगा। यदि जिलों की सीमान्तर्गत कोई दुकान किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित किया जाना अपेक्षित हो तो इस सम्बन्ध में भी जिलाधिकारी स्वविवेकानुसार आबकारी अधिनियम में उल्लिखित प्राविधानों तथा उपरोक्त प्रस्तर 17 में उल्लिखित मानकों के अन्तर्गत निर्णय ले सकेंगे;

परन्तु यह कि ऐसी स्थिति में सुनिश्चित किया जाये कि किसी दुकान के राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा तथा कोई क्षेत्र दुकान रहित जोन नहीं होने दिया जायेगा।

18. पात्रता :—

देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों के आवंटन के सम्बन्ध में पात्रता की शर्तें अग्रलिखित शर्तो के अतिरिक्त फुटकर दुकानों के व्यवस्थापन से सम्बन्धित नियमावली, 2001 (अद्यतन संशोधित) के अनुरूप होंगी;

परन्तु यह कि अनुज्ञापी को दुकान आवंटन हेतु आवेदन करते समय आवेदन पत्र के साथ हैसियत प्रमाण पत्र एवं चरित्र प्रमाण—पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। यदि हैसियत प्रमाण पत्र अद्यतन न हो तो, इस शर्त के साथ अन्तरिम रूप से स्वीकार किया जायेगा कि आवेदक इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करे कि इस दौरान (हैसियत प्रमाण—पत्र की तिथि से अद्यतन) प्रार्थी के द्वारा हैसियत प्रमाण पत्र में अंकित चल/अचल सम्पत्ति का विक्रय/हस्तान्तरण नहीं किया गया है। हैसियत प्रमाण पत्र के एवज में इसी मूल्य की बैंक गारण्टी स्वीकार की जा सकेगी। आवेदन पत्र के साथ हैसियत प्रमाण—पत्र एवं चरित्र प्रमाणपत्र संलग्न न होने की दशा में ऐसे आवेदनों पर किसी भी दशा में विचार नहीं किया जायेगा और ऐसे आवेदनों को प्रथम दृष्टया निरस्त करने का पूर्ण अधिकार लाईसेंसिंग प्राधिकारी को होगा। यदि किसी आवेदक के पास अचल सम्पत्ति नहीं है, तो वह अपने परिवार के सदस्य/सदस्यों की सम्पत्ति को लाईसेंसिंग प्राधिकारी के नाम बन्धक (Mortgage)कर हैसियत प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता है। हैसियत प्रमाणपत्र की राशि में कमी की राशि के एवज में कमी की राशि के बराबर राशि के एफ0डी0आर0 (नियमानुसार निर्धारित बैंकों से बने) जो जिलाधिकारी के नाम प्रतिश्रुत होंगे, जमा कराये जा सकेंगे। आवेदक का स्थाई रूप से उत्तराखण्ड का निवासी होना अनिवार्य होगा, अतः दुकान हेतु आवेदन करते समय आवेदन पत्र के साथ स्थाई निवास प्रमाण—पत्र भी संलग्न करना अनिवार्य होगा।

आवेदक को आवेदन पत्र में अपना आयकर विभाग से प्राप्त पैन नम्बर अंकित करना अनिवार्य होगा, किन्तु यदि किसी आवेदक के पास पैन नम्बर नहीं हो तो उसे यह शपथ—पत्र प्रस्तुत करना होगा कि यदि उसके नाम दुकान लॉटरी में निकलती है, तो वह दुकान चलाना प्रारम्भ करने से पूर्व आयकर विभाग से पैन नम्बर प्राप्त करने हेतु आवेदन देकर विभाग को सूचित करेगा अन्यथा उसे दिया गया लाईसेंस निरस्त कर दिया जायेगा।

चयनित आवेदक को आवेदन करने पर आवेदन हेतु पात्रता की समस्त शर्ते पूर्ण करने वाले अधिकतम एक साझीदार को सम्मिलित करने की अनुमति नियमानुसार दी जा सकेगी।

19. **देशी एवं विदेशी मदिरा पर उत्पाद शुल्क की दर :—**

(एक) विदेशी मदिरा पर संदेय उत्पाद शुल्क की दर रू0 61.00 प्रति अल्कोहलिक लीटर होगी। देशी मदिरा (36 वी0/वी0 तीव्रता) पर ड्यूटी रू0 105.00 प्रति बल्क लीटर रहेगी।

(दो) 5 प्रतिशत एल्कोहल तीव्रता की बियर पर संदेय उत्पाद शुल्क की दर रू0 15/– प्रति ब्लक लीटर तथा 5 प्रतिशत से अधिक व 8 प्रतिशत एल्कोहल तीव्रता तक की बियर पर रू0 30/– प्रति बल्क लीटर रहेगी।

20. **विदेशी मदिरा की निकासी पर न्यूनतम् प्रत्याभूत ड्यूटी की गणना :–**

विदेशी मदिरा की निकासी पर न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी की गणना हेतु दरें प्रति बोतल एक्स आसवनी मूल्य के आधार पर निम्न प्रकार निर्धारित की जाती हैं :–

(1)	रू0 25.00 तक एक्स आसवनी मूल्य पर	रू0 79.00 प्रति बोतल
(2)	रू0 25.01 से रू0 35.00 तक एक्स आसवनी मूल्य पर	रू0 86.00 प्रति बोतल
(3)	रू0 35.01 से रू0 55.00 तक एक्स आसवनी मूल्य पर	रू0 99.00 प्रति बोतल
(4)	रू0 55.01 से रू0 75.00 तक एक्स आसवनी मूल्य पर	रू0 112.00 प्रति बोतल
(5)	रू0 75.01 से रू0 150.00 तक एक्स आसवनी मूल्य पर	रू0 145.00 प्रति बोतल
(6)	रू0 150.01 से रू0 300.00 तक एक्स आसवनी मूल्य पर	रू0 158.00 प्रति बोतल
(7)	रू0 300.01 से रू0 450.00 तक एक्स आसवनी मूल्य पर	रू0 198.00 प्रति बोतल
(8)	रू0 450.01 से अधिक एक्स आसवनी मूल्य पर	रू0 264.00 प्रति बोतल

एक ही ब्राण्ड के बोतल, अद्धा एवं पौवा पर निर्धारित एम0जी0डी0 की दर बोतल की ई0डी0पी0 के आधार पर एक समान रखी जायेगी;

परन्तु यह कि अद्धा तथा पौवा की प्रति पेटी ई0डी0पी0 बोतल की तुलना में क्रमशः रू0 25/– तथा रू0 50/–से अधिक अन्तर की अनुमति नहीं दी जायेगी।

21. **(क) सैन्य कैन्टीनों द्वारा बिक्री पर एफ0एल0–2ए अनुज्ञापन शुल्क,ड्यूटी तथा एसेस्मेंट**

फीस की दरें :–

वर्ष 2010–11 के लिए एफ0एल0–2ए अनुज्ञापन (थोक बिकी) के लिए रू0 10,000/– लाईसेंस फीस निर्धारित की जाती है।

(ख) एक. एक्साइज ड्यूटी की दर निम्न प्रकार होगीः–

(अ) भारत निर्मित विदेशी मदिरा (रम छोड़कर) ______ रू0 61.00 प्रति ए0एल0

(ब) रियायती रम ______________________ रू0 45.00 प्रति ए0एल0

(स) बियर–एफ0एल0–9 के अन्तर्गत एफ0एल0–5 के समान अभिकर की दर पर देय होगी।

दो. असेस्मेंट फीस की दरें प्रति बोतल निम्नानुसार निर्धारित की जाती हैं :–

(1)	विदेशी मदिरा (रम, बियर को छोड़कर)	रू0 34.00 प्रति बोतल
(2)	रियायती रम	रू0 25.00 प्रति बोतल

(3)	बियर	रू0 05.00 प्रति बोतल

22. **आई0टी0बी0पी0/सशस्त्र सीमा बल (एस0एस0बी0) को (विदेशी मदिरा विहस्की/जिन/ ब्राण्डी/बियर आदि) की सुविधाः–**

आई0टी0बी0पी0/सशस्त्र सीमा बल (एस0एस0बी0) को एफ0एल0–9ए अनुज्ञापन के अतिरिक्त एफ0एल0–9बी लाईसेंस के अन्तर्गत भारत निर्मित विदेशी मदिरा तथा विदेश निर्मित विदेशी मदिरा एवं बियर की आपूर्ति एफ0एल0–2 से एफ0एल0–5 की भांति देय शुल्कों के साथ अनुमन्य होगी।

23. **मदिरा का विक्रय मूल्य :–**

वित्तीय वर्ष 2009–10 की भांति मदिरा के विक्रय मूल्य के परिप्रेक्ष्य में अवांछनीय प्रतिस्पर्धा की प्रवृत्ति को नियंत्रित किये जाने तथा उपभोक्ताओं के हितों को संरक्षित किये जाने के उद्‌देश्य से देशी/विदेशी मदिरा/बियर/वाईन का अधिकतम फुटकर बिक्री मूल्य निर्धारित किया जायेगा। सभी ब्राण्ड की ई0डी0पी0 दिल्ली राज्य में आपूर्ति किये जा रहे ब्राण्डस की ई0डी0पी0 से अधिक नहीं रखी जा सकेगी। ऐसे ब्राण्ड जिसकी ई0डी0पी0 दिल्ली में बिक्री किये जा रहे समतुल्य ब्राण्ड की ई0डी0पी0 से अधिक होगी, की बिक्री उत्तराखण्ड राज्य में अनुमन्य नहीं होगी। जो आपूर्तक दिल्ली राज्य में आपूर्ति नहीं कर रहे हैं वे अन्य किसी राज्य में आपूर्ति किये जा रहे ब्राण्ड की ई0डी0पी0 से अधिक नहीं रख सकेंगे। विदेशी मदिरा उत्पादकों द्वारा विभिन्न ब्राण्ड की ई0डी0पी0 घोषित किये जाने सम्बन्धी दिये गये शपथ पत्र में यदि यह पाया जाता है कि अन्य राज्य मे इससे कम ई0डी0पी0 घोषित की गयी है, तो प्रत्येक त्रुटिपूर्ण ई0डी0पी0 पर रू0 1,00,000 लाख (एक लाख रूपये मात्र) पेनाल्टी आरोपित किये जाने के साथ–साथ अन्य वैधानिक कार्यवाही भी की जा सकेगी।

24. **देशी मदिरा/विदेशी मदिरा का आयात :–**

देशी मदिरा एवं सबसे कम प्रति बोतल न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी की विदेशी मदिरा को प्रदेश के बाहर से आयात करने की अनुमति नही दी जायेगी।

25. **विदेशी मदिरा/बियर/वाईन के थोक (एफ0एल0–2/2बी/2डब्लू) अनुज्ञापन :–**

वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु एफ0एल0–2/2बी अनुज्ञापन केवल विदेशी मदिरा के निर्माता को केवल अपने उत्पाद बेचने के लिए आबकारी आयुक्त द्वारा स्वीकृत किये जायेंगे। स्पष्ट किया जाता है कि निर्माता से आशय निर्माता कम्पनी से होगा। ऐसी भारतीय इकाईयां जो, आयातित ब्राण्ड्स की स्कॉच व्हिस्की, ब्रान्डी, जिन, बियर, वॉईन वोडका इत्यादि की बॉटलिंग भारत में करती हैं तथा जिन्हें भारत में उक्त की बिक्री करने के पूर्ण अधिकार प्राप्त है, अथवा जिन्हें विदेश में निर्मित/बाटलड विदेशी मदिरा को भारत में विक्रय करने के विधिक अधिकार (legal rights) प्राप्त हैं, इन्हें ऐसे ब्राण्डस के निर्माता माना जायेगा। तद्‌नुसार इन्हें बिक्री हेतु थोक अनुज्ञापन प्रदान किया जायेगा। वर्ष

2010–11 में प्रदेश के थोक विदेशी मदिरा व्यापार हेतु एफ0एल0–2 के लिये रू0 2.50 लाख एवं एफ0एल0–2बी एवं एफ0एल0–2 (स्कॉच) एवं एफ0एल0–2 (डब्लू0) के लिये रू0 1,25,000/– (रू0 एक लाख पच्चीस हजार) रजिस्ट्रेशन फीस देनी होगी। इसके अतिरिक्त एफ0एल0–2/2बी/2डब्लू की लाईसेंस फीस प्रति पेटी निम्नानुसार वसूल की जायेगी,:–

(1) राज्य के प्रत्येक जिले के लिये एफ0एल0–2 हेतु लाईसेंस फीस विदेशी मदिरा/बियर/वाईन की प्रत्येक पेटी की बिक्री पर उस पेटी के एक्स आसवनी मूल्य के 12 प्रतिशत के बराबर प्रति पेटी अग्रिम वसूल की जायेगी। ओवरसीज लिकर की ई0डी0पी0 एक्स कस्टम बाण्ड मूल्य मानी जायेगीं।

(2) राज्य के प्रत्येक जिले के लिये एफ0एल0 2बी/2(स्कॉच)/2डब्लू हेतु लाईसेंस फीस बियर/वाईन की प्रत्येक पेटी की बिक्री पर उस पेटी के एक्स आसवनी मूल्य के 12 प्रतिशत के बराबर प्रति पेटी अग्रिम वसूल की जायेगी।

वित्तीय वर्ष 2010–11 में एफ0एल0–2/2बी के अन्तर्गत 500 एम0एल0 एवं 330 एम0एल0 के पैक की भरी बियर की बिक्री की अनुमति भी दी जायेगी। उच्च स्टार श्रेणी होटलों (तीन स्टार व उच्च श्रेणी) को 330 एम0एल0 एवं 325 एम0एल0 के पैकिंग व टिन्स में बियर की बिक्री अनुमन्य की जायेगी। इन होटलों को ओवर सीज लिकर के 60 एम0एल0 व 90 एम0एल0 की बिक्री करने की अनुमति भी होगी। इसके अतिरिक्त अन्य पैक (Pack) के सम्बन्ध में शासन की पूर्वानुमति से आबकारी आयुक्त द्वारा निर्णय लिया जा सकेगा।

26. **एफ0एल0–2 गोदामों पर नियन्त्रण :–**

राज्य के प्रत्येक जिले में एफ0एल0–2 हेतु गोदाम की व्यवस्था आबकारी विभाग द्वारा पी0डब्लू0डी0 की दरों पर प्रत्येक एफ0एल0–2 लाईसेंसी को करायी जायेगी, इस गोदाम पर आबकारी विभाग के पूर्ण नियन्त्रण हेतु आबकारी विभाग का ताला लगा होगा, जिसकी चाबी क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक के पास होगी।

27. **विदेशी मदिरा की निकासी पर एसेसमेंट फीस की राशि निम्नानुसार निर्धारित की जायेगी:–**

क्र0स0	प्रति बोतल एक्स आसवनी मूल्य	एफ0एल0–2/2बी स्तर पर प्रति पेटी एसेसमेन्ट फीस का प्रस्तावित भार (रूपयों में)
(1)	रू0 25.00 तक	80/–
(2)	रू0 25.01 से रू0 35.00 तक	115/–
(3)	रू0 35.01 से रू0 55.00 तक	125/–
(4)	रू0 55.01 से रू0 75.00 तक	140/–
(5)	रू0 75.01 से रू0 150.00 तक	150/–
(6)	रू0 150.01 से रू0 300.00 तक	160/–
(7)	रू0 300.01 से रू0 450.00 तक	180/–

(8)	रू0 450 से ऊपर	200/–
(9)	बियर (650एम0एल की 12 बोतलो अथवा 325 एम0एल की 24 बोतलो की पेटी) एवं वाईन (750 एम0एल0 की 12 बोतल की पेटी)।	60/–
(10)	500 एम0एल0 के 24 केन की पेटी।	92.31/–
(11)	330 एम0एल0के 24 केन की पेटी।	60.93/–

जिला आबकारी अधिकारी उपरोक्तानुसार प्रति पेटी देय एसेस्मेंट शुल्क की राशि फुटकर अनुज्ञापी से अग्रिम जमा कराने के उपरान्त निकासी की अनुमति देंगे।

28. **राज्य के बाहर के विदेशी मदिरा निर्माताओं के उत्पादों की थोक बिक्रीः–**

राज्य के बाहर के विदेशी मदिरा के निर्माता उत्तराखण्ड राज्य मे बिक्री हेतु अनुमन्य विदेशी मदिरा के ब्राण्डस उत्तराखण्ड स्थित अपने बाण्ड लाईसेंसों एवं एफ0एल0–2/2बी लाईसेंसों के माध्यम से उत्तराखण्ड में बेच सकेंगे। बाण्ड अनुज्ञापन की लाईसेन्स फीस का निर्धारण बिक्री की श्रेणी के अनुसार श्रेणीवार होगा। बाण्ड लाईसेन्सों की फीस वर्ष 2010–11 में निम्नानुसार होगी; अर्थात –

(1)	बी0डब्लू0एफ0एल0–2 बाण्ड (विदेशी मदिरा बियर एवं वाईन) (1) 50,000 पेटियों तक (2) 50,001 से 1,00,000 पेटियों तक (3) 1,00,000 पेटियों से अधिक	वर्ष या वर्ष के भाग के लिये रू0 4,83,000/– रू0 6,90,000/– रू0 9,66,000/–
(2)	बी0डब्लू0एफ0एल0–2बी बाण्ड (केवल बियर के लिये) प्रदेश के बाहर की ब्रिवरीज के लिए। (1) 50,000 पेटियों तक (2) 50,001 से 1,00,000 पेटियों तक (3) 1,00,000 पेटियों से अधिक	वर्ष या वर्ष के भाग के लिये रू0 2,48,000/– रू0 3,45,000/– रू0 4,14,000/–
(3)	बी0डब्लू0एफ0एल0–2एस बाण्ड (केवल स्कॉच के लिये) (1) 600 पेटियों की बिक्री तक (2) 600 पेटी से ऊपर।	वर्ष या वर्ष के भाग के लिये 76,000/–(छिहत्तर हजार मात्र) प्रत्येक 100 पेटी पर रूपये 13,200/– (तेरह हजार दो सो मात्र) अतिरिक्त लाईसेंस फीस देय होगी।
(4)	बी0डब्लू0एफ0एल–2 डब्लू बाण्ड (केवल वाईन के लिये)	वर्ष या वर्ष के भाग के लिये रू0 10,000/– (दस हजार मात्र)
(5)	एफ0एल0–1 (प्रदेश की आसवनियों को स्वयं निर्मित विदेशी मदिरा एवं बियर उत्पादों को थोक	वर्ष या वर्ष के भाग के लिये रू0 2,00,000/–(दो लाख मात्र)

	में एफ0एल0–2 को बेचने हेतु लाईसेंस)	

29. लेबिल रजिस्ट्रेशन फीस की दरें निम्न प्रकार निर्धारित की जाती है :–

(अ) सी0एस0डी0 आपूर्ति के लिए :–

(एक) विदेशी मदिरा :– प्रति लेबिल फीस प्रति वर्ष रू0 5,000/(पांच हजार मात्र) रजिस्ट्रेशन शुल्क देय होगा।

(दो) बियर/वाईन :– प्रति लेबिल फीस प्रति वर्ष रू0 2,500/(दो हजार पांच सौ मात्र) रजिस्ट्रेशन शुल्क देय होगा।

(ब) सिविल सप्लाई हेतु विदेशी मदिरा/बियर/वाईन :–

(एक) विदेशी मदिरा के लेबिलों के अनुमोदन के पूर्व प्रति लेबिल फीस धारितावार प्रति वर्ष रू0 9,500/–(नौ हजार पांच सौ मात्र) (बोतल/अद्धा/पौव्वा) रजिस्ट्रीकरण शुल्क देय होगा।

(दो) बियर/वाईन आदि :– बियर/वाईन के लेबिलों के अनुमोदन के लिए प्रति लेबिल प्रति वर्ष रू0 4,750/– (चार हजार सात सौ पचास मात्र) धारितावार रजिस्ट्रीकरण शुल्क लिया जायेगा।

30. होटल बारों की लाईसेंस फीस का निर्धारण :–

होटल बार लाईसेंस एफ०एल०–6 (समिश्र) की लाईसेंस होटल के वार्षिक टर्न ओवर (वर्ष 2009–10) के आधार पर वर्ष या वर्ष भाग के लिये निम्न प्रकार निर्धारित किये जाने का प्रस्ताव है:–

(1)	रू0 2.00 करोड़ से कम टर्न ओवर वाले होटल	4.50 लाख रूपये
(2)	रू0 2.00 करोड़ से 5.00 करोड़ तक टर्न ओवर वाले होटल	5.00 लाख रूपये
(3)	रू0 5.00 करोड़ से अधिक 10.00 करोड़ तक टर्न ओवर वाले होटल	10.00 लाख रूपये
(4)	रू0 10.00 करोड़ से अधिक 20.00 करोड़ तक टर्न ओवर वाले होटल	15.00 लाख रूपये
(5)	रू0 20.00 करोड़ से अधिक टर्न ओवर वाले होटल	25.00 लाख रूपये

31. रेस्त्राबार/क्लब बार लाईसेंस हेतु निम्नानुसार लाईसेंस फीस लिया जाना प्रस्तावित है :–

क्र0 सं0	बार का प्रकार	लाईसेंस फीस (रूपये में)

(1)	रेस्टोरेन्ट बार	4.50 लाख
(2)	बियर बार (1) रेगुलर बियर बार (2) सीजनल बियर बार	 30,000 (रु तीस हजार) 15,000 (रुं पन्द्रह हजार)
(3)	क्लब बार (1)क्लब बार (100 सदस्यों तक के लिए) (2) क्लब बार (101 से 500 सदस्यों तक के लिए) (3) क्लब बार (500 से अधिक सदस्यों के लिए)	 1.20 लाख 1.80 लाख 2.40 लाख
(4)	अकेजनल बार परमिट (प्रतिदिन)	रू0 दो हजार

गैर–होटल बार लाईसेन्स धारी प्राइवेट बैंक्वेट हॉल्स/वैडिंग हॉल्स में पार्टीज मे मदिरा परोसने हेतु इन्हें सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा जिसकी रजिस्ट्रेशन फीस रू० 1,00,000/–(एक लाख) वर्ष या वर्ष के भाग के लिए देय होगी। मदिरा के उपभोग हेतु पंजीकरण के बिना कोई परमिट नहीं दिया जायेगा। गत वर्ष के समान ड्राफ्ट बियर की बिक्री की अनुमति बारों/सैन्य केन्टीनों में दी जा सकेगी।

32. बार एवं क्लब बार लाईसेन्स के अन्तर्गत निकासी पर देय ड्यूटी :–

बार एवं क्लब बार अनुज्ञापन/परमिट के फलस्वरूप दी जाने वाली विदेशी मदिरा की निकासी पर ड्यूटी की दर प्रति बोतल एक्स आसवनी मूल्य के आधार पर निम्नानुसार होगीः–

(1)	रू0 35.01 से रू0 55.00 तक एक्स आसवनी मूल्य पर	रू0 125 मात्र
(2)	रू0 55.01 से रू0 75.00 तक एक्स आसवनी मूल्य पर	रू0 150 मात्र
(3)	रू0 75.01 से रू0 150.00 तक एक्स आसवनी मूल्य पर	रू0 175 मात्र
(4)	रू0 150.01 से रू0 300.00 तक एक्स आसवनी मूल्य पर	रू0 200 मात्र
(5)	रू0 300.01 से रू0 450.00 तक एक्स आसवनी मूल्य पर	रू0 250 मात्र
(6)	रू0 450.00 से अधिक एक्स आसवनी मूल्य पर	रू0 350 मात्र

उक्त दरों से निम्न दरों की विदेशी मदिरा की बिक्री बार एवं क्लब बार परमिट धारकों के परिसर में प्रतिबन्धित रहेगी। उपरोक्त के अतिरिक्त अनुज्ञापन से सम्बन्धित अन्य व्यवस्थाएं एवं शर्तें पूर्ववत् रहेंगी।

33. होटलों एवं रेस्त्रां बारों के अनुज्ञापनों के लिये आवेदकों की अहर्ता :–

ऐसे होटलों एवं रेस्त्राओं को बार लाईसेन्स देने पर विचार किया जायेगा, जिनकी आवेदन किये जाने वाले वर्ष में आवेदन किये जाने की तिथि तक अथवा आवेदन किये जाने वाले वर्ष से पूर्व वित्तीय वर्ष में उनके

होटल/रेस्त्राओं में पके हुए भोजन की बिक्री रू0 5.50 लाख अथवा उससे अधिक हो।

34. गढवाल मण्डल के पांच जनपदों में बारों का संचालन :–

गढ़वाल मण्डल के पांच जनपदों (पौड़ी, टिहरी, उत्तरकाशी, रूद्रप्रयाग, चमोली) में बार/बियर बार अनुज्ञापन न्यूनतम 10 कमरे (20 शैय्या) वाले होटल/रिसोर्टस, जो मुख्य यात्रा मार्ग पर स्थित न हों, को ही स्वीकृत किये जा सकेगें। अन्य मानक बार/बियर बार दिये जाने हेतु निर्धारित नीति के अनुरूप रहेंगे।

35. बियर एवं वाईन बार लाईसेंस :–

बियर एवं वाईन बार लाईसेन्स स्वीकृत किये जाने हेतु नीति गत वर्ष के समान रहेगी। उन होटलों एवं रेस्त्राओं, जिनकी विगत वर्ष में या आवेदन किये जाने की तिथि तक पके हुए भोजन की बिक्री 3.00 लाख रूपये (तीन लाख रूपये) वार्षिक या उससे अधिक रही हो उन्हें रू0 30,000/– (तीस हजार रूपयें) प्रतिवर्ष की दर से अनुज्ञापन शुल्क के आधार पर बियर एवं वाईन बार लाईसेन्स स्वीकृत किया जायेगा। सीजनल पर्यटक स्थलों के लिये छः माह की अवधि के लिये भी लाईसेन्स दिये जा सकेंगे एवं सीजनल बीयर एवं वाईन बार हेतु लाईसेंस फीस, बियर बार हेतु निर्धारित लाईसेंस फीस की आधी अर्थात रू0 15,000/– (पन्द्रह हजार रूपये मात्र) होगी। बियर बार पर वाईन की बिक्री की अनुमति प्रदान की जायेगी।

36. आसवनियों, बाटलिंग प्लान्ट, ब्रुवरी, विन्टनरी एवं वाईनरी की स्थापना :–

आसवनियों, बाटलिंग प्लान्ट, ब्रुवरी, विन्टनरी एवं वाईनरी की स्थापना के सम्बन्ध में निम्न व्यवस्था रखी जायेगीः–

(क) पेय मदिरा बनाने हेतु शीरा आधारित आसवनियों की स्थापना के लिए अनुज्ञापन देने पर विचार नहीं किया जायेगा। ग्रेनबेस्ड आसवनी को पेय मदिरा/एनहाईड्रस अल्कोहल का निर्माण करने हेतु आसवनी स्थापना के प्रस्ताव प्राप्त होने पर उन्हें लाईसेंस देने पर विचार किया जायेगा।

(ख) बाटलिंग प्लान्ट लगाने के लिए प्रतिष्ठित एवं ख्याति प्राप्त विदेशी मदिरा के ब्राण्डस् की भराई हेतु प्रस्ताव प्राप्त होने पर बॉटलिंग प्लांट का अनुज्ञापन देने पर विचार किया जायेगा।

(ग) ब्रुवरी, विन्टनरी एवं वाईनरी की स्थापना हेतु गत वित्तीय वर्ष के अनुरूप लाईसेंस देने पर विचार किया जायेगा तथा वाईन किन धारिता की बोतलों में भरी जायेगी इसके निर्धारण हेतु आबकारी आयुक्त अधिकृत होंगे।

37. बोतल भराई अनुज्ञापन एफ0एल0–3ए एवं एफ0एल0एम0–3 हेतु बाटलिंग फीस :–

व्हिस्की, ब्राण्डी, रम व जिन की भराई हेतु एफ0एल0–3ए लाईसेंस के अन्तर्गत विदेशी मदिरा की बोतल भराई पर एफ0एल0एम0–3 के समान लाईसेंस फीस संदेय होगी। इन लाईसेंसों के अन्तर्गत भरी गयी विदेशी मदिरा की प्रत्येक बोतल/अद्धा/पव्वा पर क्रमशः रू0 3.80, रू0 1.90 तथा रू0 0.95 बाटलिंग फीस देय होगी अन्य पैकों में भरी विदेशी मदिरा पर समानुपातिक दर से बॉटलिंग फीस देय होगी।

38. बियर बोतल भराई हेतु बाटलिंग फीस :–

एफ0एल0–3ए के अन्तर्गत बियर की भराई की स्थिति में बोतल भराई फीस रू0 0.60 प्रति बोतल व रू0 0.36 प्रति अद्धा के अतिरिक्त रू0 0.25 प्रति बोतल व रू0 0.15 प्रति अद्धा एफ0एल0–3ए की लाईसेंस फीस अधिरोपित की जायेगी।

39. ब्रुवरी की लाईसेंस फीस वर्ष या वर्ष के भाग के लिए निम्नलिखित निर्धारित की जाती है :–

(एक) अधिष्ठापित क्षमता 5000 किलो लीटर तक रू0 10,000.00

(दो) अधिष्ठापित क्षमता 5001 से 10,000 किलो लीटर तक रू0 20,000.00

(तीन) अधिष्ठापित क्षमता 10000 किलो लीटर से अधिक पर रू0 2.00 प्रति किलो लीटर की दर से अतिरिक्त।

40. कम तीव्रता वाली एल्कोहल ब्रिवरेजेस की बिक्री :–

वित्तीय वर्ष 2010–11 में एफ0एल0–2/2बी के अन्तर्गत 8 प्रतिशत तक अल्कोहल तीव्रता वाली अल्कोहलिक ब्रिवरेजेस को बेचने की अनुमति दी जायेगी, जिसमें उपस्थित अल्कोहल की मात्रा पर बीयर के समान प्रति बल्क लीटर उत्पाद शुल्क वसूल किया जायेगा। इस प्रकार के ब्रिवरेजेस किन धारिता की बोतलों में बेची जायेगी, इसका निर्धारण आबकारी आयुक्त द्वारा शासन की पूर्वानुमति से किया जायेगा।

41. एफ0एल0एम0–3 की लाईसेंस शुल्क की दरें निम्नानुसार होगीं :–

(1)	पांच लाख बोतल (750 एम0एल0) तक भराई क्षमता की विनिर्माणशाला के मामले में।	रूपये 3,53,000/–(तीन लाख त्रेपन हजार मात्र) प्रतिवर्ष या उसके भाग के लिये।
(2)	पांच लाख से अधिक परन्तु दस लाख बोतल (750 एम0एल0) तक भराई की क्षमता की विनिर्माणशाला के मामले में।	रूपये 7,06,000/–(सात लाख छः हजार मात्र) प्रतिवर्ष या उसके भाग के लिये।
(3)	दस लाख से अधिक परन्तु पन्द्रह लाख बोतल (750 एम0एल0)तक	रूपये 10,58,000/–(दस लाख अठावन हजार मात्र) प्रतिवर्ष या उसके भाग के

	भराई की क्षमता की विनिर्माणशाला के मामले में।	लिये।
(4)	पन्द्रह लाख से अधिक परन्तु पच्चीस लाख बोतल (750 एम0एल0)तक भराई की क्षमता की विनिर्माणशाला के मामले में।	रूपये 21,16,000/—(इक्कीस लाख सोलह हजार मात्र) प्रतिवर्ष या उसके भाग के लिये।
(5)	पच्चीस लाख से अधिक परन्तु पचास लाख बोतल (750 एम0एल0) तक भराई की क्षमता की विनिर्माणशाला के मामले में।	रूपये 31,74,000/—(इकतीस लाख चौहत्तर हजार मात्र) प्रतिवर्ष या उसके भाग के लिये।
(6)	पचास लाख से अधिक परन्तु पिचहत्तर लाख बोतल (750 एम0एल0) तक भराई की क्षमता की विनिर्माणशाला के मामले में।	रूपये 48,07,000/—(अड़तालीस लाख सात हजार मात्र) प्रतिवर्ष या उसके भाग के लिये।
(7)	पिचहत्तर लाख से अधिक परन्तु एक करोड़ बोतल (750 एम0एल0) तक भराई की क्षमता की विनिर्माणशाला के मामले में।	रूपये 63,25,000/—(त्रेसठ लाख पच्चीस हजार मात्र) प्रतिवर्ष या उसके भाग के लिये।
(8)	एक करोड़ से अधिक परन्तु एक करोड पच्चीस लाख बोतल (750एम0एल0) तक भराई की क्षमता की विनिर्माणशाला के मामले में।	रूपये 79,06,000/—(उनासी लाख छः हजार मात्र) प्रतिवर्ष या उसके भाग के लिये।
(9)	एक करोड़ पच्चीस लाख से अधिक परन्तु एक करोड पचास लाख बोतल (750 एम0एल0) तक भराई की क्षमता की विनिर्माणशाला के मामले में।	रूपयें 94,88,000/— (चौरानवे लाख अठ्ठासी हजार मात्र) प्रतिवर्ष या उसके भाग के लिये।

42. **विदेशी मदिरा की बोतल भराई हेतु बाटलिंग फीस :—**

एफ0एल0—3 अनुज्ञापन के अर्न्तगत आसवक को न्यून्तम रूपये 1,00,000/— (रू0 एक लाख) प्रति वर्ष के अधीन बाटलिंग फीस निम्न दरों पर विदेशी मदिरा की बोतलों की भराई पर देय होगी:—

क्र0 सं0	बोतल का प्रकार	राज्य मे बिक्री हेतु	राज्य के बाहर बिक्री हेतु
(1)	1,000 मि0ली0 बोतल	प्रतिबन्धित	1.90 रू० प्रति बोतल
(2)	750 मि0ली0 बोतल	2.80 रू0 प्रति बोतल	1.43 रू० प्रति बोतल
(3)	500 मि0ली0 बोतल	प्रतिबन्धित	0.95 रू० प्रति बोतल

(4)	375 मि0ली0 बोतल	1.40 रू0 प्रति अद्धा	0.72 रू० प्रति अद्धा
(5)	180 मि0ली0 पौव्वा	0.90 रू0 प्रति पौव्वा	0.57 रू० प्रति पौव्वा
(6)	90 मि0ली0 पैक	0.42 रू0 प्रति पैक	0.29 रू० प्रति पैक

43. **एफ0एल0–3ए व एफ0एल0एम0–3 अनुज्ञापन के अन्तर्गत देय बाटलिंग फीसः–**

एफ0एल0–3ए के अन्तर्गत बाटलिंग व एफ0एल0एम0–3 अनुज्ञापन के अन्तर्गत एफ0एल0–3बी में बाटलिंग अनुज्ञापन में न्यूनतम रू0 1,00,000/– (रू० एक लाख) प्रति वर्ष के अधीन विदेशी मदिरा पर बाटलिंग फीस निम्नानुसार देय होगीः–

क्र0 सं0	बोतल का प्रकार	राज्य मे बिक्री हेतु	राज्य के बाहर बिक्री हेतु
(1)	1000 मि0ली0 बोतल	प्रतिबन्धित	1.90 रू0 प्रति बोतल
(2)	750 मी0ली0 बोतल	3.80 रू0 प्रति बोतल	1.43 रू0 प्रति बोतल
(3)	500 मीली0 बोतल	प्रतिबन्धित	0.95 रू0 प्रति बोतल
(4)	375 मी0ली0 अद्धा	1.90 रू0 प्रति अद्धा	0.72 रू0 प्रति अद्धा
(5)	180 मी0ली0 पौव्वा	0.95 रू0 प्रति पौव्वा	0.57 रू0 प्रति पौव्वा
(6)	90 मि0ली0 पैक	0.47 रू0 प्रति पैक	0.29 रू0 प्रति पैक

44. **एफ0एल0–3 एवं एफ0एल0–3ए अनुज्ञापन के अन्तर्गत बियर पर देय बाटलिंग फीसः–**

एफ0एल0–3 एवं एफ0एल0–3ए अनुज्ञापन के अन्तर्गत ब्रुवरी (आसवनी) में न्यूनतम 1,00,000/–(रू० एक लाख) प्रति वर्ष के अधीन बियर बोतल भराई पर बाटलिंग फीस निम्नानुसार देय होगीः–

क्र0स0	बोतल का प्रकार	एफ0एल0–3 हेतु बाटलिंग फीस	एफ0एल0–3ए हेतु	
			बाटलिंग फीस	लाईसेंस फीस
(1)	650.एम0एल0 बोतल पर	रू0 0.60 प्रति बोतल	रू0 0.60 प्रति बोतल	रू0 0.25 प्रति बोतल
(2)	350.एम0एल0 बोतल पर	रू0 0.36 प्रति बोतल	रू0 0.36 प्रति बोतल	रू0 0.15 प्रति बोतल

45. **बियर के निर्यात पर बाटलिंग/लाईसेंस फीस निम्नानुसार देय होगी :–**

क्र0 स0	बोतल का प्रकार	एफ0एल0–3 हेतु बाटलिंग फीस	एफ0एल0–3ए हेतु	
			बाटलिंग फीस	लाईसेंस फीस
(1)	650 एम0एल0 बोतल पर	रू0 0.48 प्रति बोतल	रू0 0.48 प्रति बोतल	रू0 0.24 प्रति बोतल
(2)	350 एम0एल0 बोतल पर	रू0 0.29 प्रति बोतल	रू0 0.29 प्रति बोतल	रू0 0.14 प्रति बोतल

46. **देशी एवं विदेशी मदिरा की बोतलों पर होलोग्राम युक्त एडहीसिव लेबिल का लगाया जानाः–**

देशी एवं विदेशी मदिरा (केवल सिविल सप्लाई हेतु) की बोतलों पर होलोग्राम युक्त एडहेसिव लेबिल लगाये जायेंगे।

47. राज्य में देशी मदिरा की थोक बिक्री अनुज्ञापन की व्यवस्था :–

जिलों में देशी मदिरा की थोक आपूर्ति में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की दृष्टि से सी0एल0–2 अनुज्ञापन अर्न्तगत थोक बिक्री के बंधित गोदाम प्रत्येक जिले में राज्य की तीनों आसवनियों द्वारा खोले जायेगें, सहकारी क्षेत्र की आसवनी बाजपुर की आपूर्ति प्रदेश स्तर पर कम से कम 1/3 सुनिश्चित की जायेगी राज्य में देशी मदिरा की आपूर्ति हेतु रू0 50.00 लाख लाईसेंस फीस देय होगी, जिसे मुख्यालय स्तर पर जमा कराया जायेगा। आपूर्तक आसवनी को अपने ब्राण्डस् का पंजीयन कराना होगा, इस हेतु पंजीयन शुल्क रू0 1,00,000/–(एक लाख मात्र) निर्धारित किया जाता है। देशी मदिरा की सी० एल० 2 से आपूर्ति के लिए आपूर्तक को हैंडलिंग चार्जेस दिये जायेगें लेकिन परिवहन व्यय फुटकर अनुज्ञापियों द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।

आसवनियों को देय पी0डी0–2 लाईसेंस की लाईसेंस फीस रू0 60.00/प्रति किलो लीटर निर्धारित की जाती है।

48. राज्य के बाहर से विदेशी मदिरा आयात एवं राज्य के अन्दर मदिरा परिवहन का रूट निर्धारण :–

अनुज्ञापियों/बॉण्ड धारकों द्वारा अन्य राज्यों से लाई जा रही मदिरा/बियर तथा राज्य के अन्दर थोक आपूर्ति हेतु परिवहित की जा रही देशी/विदेशी मदिरा/बियर का परिवहन केवल निर्धारित मार्ग (Route) से ही अनुमन्य होगा एवं पूर्व वर्ष में लागू की गई व्यवस्था वर्ष 2010–11 में भी जारी रहेगी। निर्धारित मार्ग के अतिरिक्त मदिरा का परिवहन होने पर उसे अवैध मानते हुए राज्य के पक्ष में जब्त किया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

49. मदिरा तस्करी/अवैध व्यापार पर प्रभावी नियन्त्रण :–

राज्य में मदिरा के अवैध व्यापार पर प्रभावी नियन्त्रण हेतु आबकारी विभाग के प्रिवेन्टिव क्षेत्रों में नियुक्त आबकारी निरीक्षकों को रिवाल्वर तथा उप आबकारी निरीक्षकों, प्रधान आबकारी सिपाहियों व आबकारी सिपाहियों को बन्दूकें उपलब्ध करायी जायेंगी।

50. निर्यात फीस की दरें :–

(1)	शोधित आसव (पेय मदिरा व ओद्योगिक प्रयोजनार्थ)	2.25 रू0 प्रति बल्क लीटर।
(2)	ई0एन0ए0	2.50 रू0 प्रति बल्क लीटर।
(3)	विकृत सुरा ओद्योगिक प्रयोजनार्थ)	0.50 रू0 प्रति बल्क लीटर।
(4)	देशी मदिरा	0.05 रू0 प्रतिएल्कोहल

		लीटर।
(5)	विदेशी मदिरा (बोतलो में)	2.67 रू0 प्रति एल्कोहल लीटर।
(6)	विदेशी मदिरा (बल्क लीटर में)	5.00 रू0 प्रति एल्कोहल लीटर।
(7)	बियर	0.05 रू0 प्रति बल्क लीटर।
(8)	माल्ट स्प्रिट	0.05 रू0 प्रति एल्कोहल लीटर।
(9)	भांग	1.00 रू0 प्रति किलोग्राम।

51. **राज्य में देशी/विदेशी मदिरा की थोक एवं फुटकर दुकानों के बिक्री/स्टॉक का ऑन लाईन अपडेटिंग किया जानाः–**

जनपद स्तर पर देशी/विदेशी मदिरा दुकानों के थोक व फुटकर दुकानों की बिक्री/स्टॉक को रियल टाइम ऑन लाईन अपडेटिंग (Real Time on line Updating) करने हेतु कम्प्यूटरीकरण का कार्य पी0पी0पी0 मोड (PPP MODE) में किया जाएगा। जिसमें आसवनियों से सी0एल0–2 अनुज्ञापनों की निकासी, सी0एल–2 से देशी मदिरा की फुटकर ब्रिकी की दुकानों तथा एफ0एल0–2 से विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों को निकासी हेतु निर्गम आदेश प्राप्त करने के लिए आवेदन का दिया जाना एवं उसको तत्काल कम्प्यूटर डाटाबेस में अद्यतन करना, इत्यादि कार्य सम्मिलित होंगे। इसी प्रकार एफ0एल0–1/आसवनी से देशी/विदेशी मदिरा के परिवहन ऑन लाईन करते हुए कम्प्यूटरीकरण किया जाएगा, जिसमें उत्पादन बिन्दु से थोक बिक्री (बी0डब्ल्यू0एफ0एल0–2/एफ0–2) तथा थोक बिक्री बिन्दु से रिटेल (फुटकर) दुकानों तक देशी मदिरा/विदेशी मदिरा के परिवहन का कम्प्यूटरीकरण किया जाएगा ताकि किसी स्तर पर विदेशी मदिरा की गतिविधि (Movement) को कम्प्यूटर के माध्यम से आन लाईन देख पाना सम्भव हो सकेगा और जिससे आबकारी विभाग में कार्य की पारदर्शिता बढ़ेगी। उपरोक्त कार्य नियमानुसार उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमेंट) नियमावली, 2008 के प्राविधानों के अंतर्गत कराया जाएगा। प्राईवेट पार्टनर के प्रति निर्गम आदेश यूजर चार्ज सीधे फुटकर मदिरा विक्रेताओं से प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जायेगा, यदि किसी कारणवश समयाभाव में उपरोक्त कम्प्यूटरीकरण संभव न हो, तो इस प्रस्तर की व्यवस्थाएं पूर्वानुसार सुनिश्चित की जाएंगी तथा आगामी वर्ष 2011–12 में उपरोक्तानुसार कम्प्यूटरीकरण प्रक्रिया को लागू किया जाएगा।

52. भांग के अनुज्ञापन हेतु पूर्व से निर्धारित व्यवस्था यथावत् लागू रहेगी।

53. अन्य शेष व्यवस्थायें वित्तीय वर्ष 2009–10 के अनुरूप यथावत् रहेंगी।

डा0 रणबीर सिंह

सचिव।

संख्या : /XXIII/2010/64/2009 तद्दिनाँकित।

प्रतिलिपि निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की, जनपद–हरिद्वार को अधिसूचना की प्रति इस आशय से संलग्न कर प्रेषित कि कृपया अधिसूचना का प्रकाशन असाधारण गजट में मुद्रित कराते हुए इसकी 200 प्रतियां सचिव, आबकारी, उत्तराखण्ड शासन, 4–सुभाष रोड, देहरादून तथा 100 प्रतियां आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरूदन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

बी0 आर0 टम्टा

अपर सचिव

संख्या : /XXIII/2010/64/2009 तद्दिनाँकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव, मा0 आबकारी मंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
4. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. आयुक्त गढ़वाल मण्डल एवं कुमॉयू मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
7. आयुक्त वाणिज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बी0 आर0 टम्टा)

अपर सचिव

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
असाधारण
विधायी परिशिष्ट
भाग–1, खण्ड (क)
(उत्तराखण्ड अधिनियम)
देहरादून, शुक्रवार, 26 मार्च, 2010 ई0
चैत्र 05, 1932 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन
विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग
संख्या 146 / XXXVI (3) / 2010 / 15(1) / 2010
देहरादून, 26 मार्च, 2010

अधिसूचना
विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित **'उत्तराखण्ड (संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910) (संशोधन) विधेयक, 2010'** पर दिनांक 25 मार्च, 2010 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 21, वर्ष 2010 के रूप में सर्व–साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड (संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910) (संशोधन) अधिनियम, 2010

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 21, वर्ष 2010)

संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 का उत्तराखण्ड राज्य के सम्बन्ध में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए–

अधिनियम

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो:–

संक्षिप्त नाम, विस्ता और प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड (संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910) (संशोधन) अधिनियम, 2010 है।

(2) यह सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में लागू होगा।

(3) यह पहली अप्रैल, 2009 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

धारा 28 का संशोधन

2. संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 28 की उपधारा (3) में निम्नलिखित संशोधन कर दिये जोयेंगें; अर्थातः—

(क) धारा 12 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार आयात की गयी देशी शराब (ताड़ी को छोड़कर) में उत्पाद शुल्कारोप्य ''रू0 90.00 प्रति बल्क लीटर'' के स्थान पर ''200.00 प्रति बल्क लीटर'' रख दिया जायेगा।

(ख) धारा 13 के उपबन्धों के अनुसार निर्यात किये गये देशी शराब (ताड़ी तथा अन्य किण्वित अल्कोहलिक पेय को छोड़कर) उत्पाद शुल्कारोप्य ''रू0 90.00 प्रति बल्क लीटर'' के स्थान पर ''200.00 प्रति बल्क लीटर'' रख दिया जायेगा।

(ग) धारा 13 के उपबन्धों के अनुसार परिवहन किये गये देशी शराब (ताड़ी को छोड़कर) उत्पाद शुल्कारोप्य ''रू0 90.00 प्रति बल्क लीटर'' के स्थान पर ''200.00 प्रति बल्क लीटर'' रख दिया जायेगा।

(घ) धारा 17 के अधीन दिये गये किसी लाईसेन्स के अन्तर्गत देशी शराब (ताड़ी को छोड़कर) निर्मित, कर्षित या संग्रहीत उत्पाद शुल्कारोप्य ''रू0 90.00 प्रति बल्क लीटर'' के स्थान पर ''200.00 प्रति बल्क लीटर'' रख दिया जायेगा।

(ड.) धारा 18 के अधीन स्थापित किसी आसवनी या लाईसेन्स प्राप्त किसी आसवनी या यवासवनी में निर्मित उत्पाद देशी शराब (ताड़ी को छोड़कर) शुल्कारोप्य ''रू0 90.00 प्रति बल्क लीटर'' के स्थान पर ''200.00 प्रति बल्क लीटर'' रख दिया जायेगा।

आज्ञा से,

राम दत्त
पालीवाल,
सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
आबकारी विभाग
संख्याः 205/XXIII/2010/64/2009
देहरादूनः दिनॉकः 30 मार्च, 2010

शुद्धि–पत्र

आबकारी अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा वर्ष 2010–11 में उत्तराखण्ड राज्य में देशी एवं विदेशी मदिरा एवं बियॅर की फुटकर बिक्री को विनियमित करने हेतु नियमावली विषयक अधिसूचना संख्याः 142/XXIII/2010/64/2009 दिनांकः 05.03.2010 के नियम 30 के वाक्यांश ''निम्न प्रकार निर्धारित किये जाने का प्रस्ताव है'' के स्थान पर ''निम्न प्रकार निर्धारित की जाती है'' पढ़ा जाय।

2. उक्त नियमावली के नियम 31 में वाक्यांश ''लिया जाना प्रस्तावित है'' के स्थान पर ''ली जायेगी'' पढ़ा जाय।

3. उक्त अधिसूचना संख्याः 142/XXIII/2010/64/2009 दिनांकः 05.03.2010 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

डॉ0 रणबीर सिंह
सचिव

संख्याः 205/XXIII/2010/64/2009 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव, मा0 आबकारी मंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ
4. समस्त प्रमुख/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड देहरादून।
6. आयुक्त गढ़वाल मण्डल एवं कुमांयू मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
7. आयुक्त वाणिज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

9. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड।

10. गार्ड फाईल।

आज्ञा सं,

(ओ0पी0 तिवारी)
उप सचिव

2009–10 की आबकारी नीति के अन्तर्गत टैक्स स्ट्रैक्चर

विभिन्न मादक पदार्थो के विनिर्माणशालाओं तथा थोक एवं फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों के लिए वर्ष 2009–10 की उत्तराखण्ड प्रदेश की लाईसेंसिंग प्रणाली के अन्तर्गत अनुज्ञापन शुल्क, उत्पाद शुल्क, निर्यात, आयात, एसेस्ड फीस आदि का संक्षिप्त विवरणः–

1 **लाईसेन्स फीस का निर्धारण :–**

वर्ष 2009–10 हेतु मदिरा की फुटकर दुकानों की नई स्लैब दरें निम्नवत् होंगी :–

देशी मदिरा

क्र0 सं0	न्यूनतम गारन्टीड मात्रा बल्क लीटर	वर्ष 2009–10 हेतु लाईसेंस फीस (रूपये में)
1	0 से 12000 तक	1,18,000
2	12001से 30000 तक	2,90,000
3	30001से 60000 तक	5,80,000
4	60001से 1,00,000 तक	9,70,000
5	1,00,001 से 1,50,000 तक	14,50,000
6	1,50,001 से 2,00,000 तक	19,34,000
7	2,00,001 से 2,50,000 तक	24,17,000
8	2,50,001 से 3,00,000 तक	29,00,000
9	3,00,001 से 3,50,000 तक	33,84,000
10	3,50,001 से 4,00,000 तक	38,67,000
11	4,00,000 से अधिक **M.G.Q** की सीमा तक	40,00,000

विदेशी मदिरा

क्र0 सं0	न्यूनतम गारन्टीड मात्रा बोतल में	वर्ष 2009–10 हेतु लाईसेंस फीस (रूपये में)
1	0 से 6000 तक	1,18,000
2	6001से 12,000 तक	2,32,000
3	12,001से 25,000 तक	4,84,000
4	25,001से 50,000 तक	9,67,000
5	50,001 से 75,000 तक	14,50,000
6	75,001 से 1,00,000 तक	19,34,000
7	1,00,001 से 1,25,000 तक	24,17,000
8	1,25,001 से 1,50,000 तक	29,00,000
9	1,50,001 से 1,75,000 तक	33,84,000
10	1,75,001 से 2,00,000 तक	38,67,000
11	2,00,000 से अधिक **M.G.Q** की सीमा तक	45,00,000

वर्ष के दौरान दुकानवार निर्धारित लाईसेन्स फीस के अनुरूप श्रेणीवार अधिकतम सीमा तक मदिरा का उठान अनुमन्य होगा। अधिकतम सीमा से अधिक मदिरा की बिक्री होने पर प्रति बोतल लाईसेन्स फीस निम्नलिखित दर से देय होगीः–

देशी मदिरा..............................रू0 11/– प्रति बल्क लीटर ।

विदेशी मदिरा..........................रू0 22/– प्रति बोतल।

2 विदेशी मदिरा की किसी दुकान की उठान की मासिक अधिकतम अनुमन्य सीमा के बीस प्रतिशत तक रू0 90/– प्रति बोतल या उससे अधिक न्यूनतम प्रत्याभूत डयूटी वाली मदिरा के प्रति माह अतिरिक्त उठान पर लाईसेन्स फीस व न्यूनतम गारन्टीड अभिकर नहीं लिया जायेगा। यदि यह मासिक अतिरिक्त अनुमन्य

	उठान माह में नहीं किया गया तो उसे अगले माहों में उठाने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगीं। देशी मदिरा की किसी दुकान की उठान की मासिक अधिकतम अनुमन्य सीमा की राशि के बीस प्रतिशत तक प्रति माह अतिरिक्त उठान पर लाईसेन्स फीस व न्यूनतम गारन्टीड अभिकर नहीं लिया जायेगा। अगर यह मासिक अतिरिक्त उठान माह में नही उठाया गया तो उसे अगले माहों में उठाने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगीं। देशी मदिरा के मामलें में प्रति बल्क लीटर न्यूनतम गारन्टीड अभिकर का आशय प्रति बल्क लीटर देय उत्पाद शुल्क से होगा। किसी देशी/विदेशी मदिरा की दुकान की मासिक अधिकतम अनुमन्य उठान सीमा से आशय दुकान के व्यवस्थापन के समय तय न्यूनतम गारन्टीड अभिकर की वार्षिक राशि के 1/12 भाग के बराबर राशि के विपरीत देय मदिरा की मात्रा से लिया जाय।
3	देशी एवं विदेशी मदिरा पर उत्पाद शुल्क की दर :– **(एक) विदेशी मदिरा पर संदेय उत्पाद शुल्क की दर रू0 58.00 प्रति अल्कोहलिक लीटर होगी। देशी मदिरा (36वी0/वी0 तीव्रता) पर डयूटी (उत्पाद शुल्क) रू0 95.00 प्रति बल्क लीटर रहेगी।** (दो) देशी मदिरा पर उत्पाद शुल्क सी0एल0–5 अनुज्ञापी द्वारा देय होगा। (तीन) बियर पर संदेय उत्पाद शुल्क की दर 5 प्रतिशत एल्कोहल तीव्रता की बियर पर 15/– रू0 प्रतिबल्क लीटर तथा 5 प्रतिशत से अधिक व 8 प्रतिशत तक एल्कोहल तीव्रता की बियर पर 28/– रू0 प्रति बल्क लीटर रहेगी।
4	(क) विदेशी मदिरा की निकासी पर न्यूनतम प्रत्याभूत डयूटी की गणना :– **विदेशी मदिरा की एफ0एल0–5डी दुकानों की निकासी पर न्यूनतम प्रत्याभूत डयूटी की गणना हेतु दरें निम्न प्रकार निर्धारित की जाती है :–** **1. रू0 25.00 तक एक्स आसवनी मूल्य पर ....रू0 72.00 प्रति बोतल** **2. रू0 25.01 से रू0 35.00 तक एक्स आसवनी मूल्य पर ....रू0 78.00 प्रति बोतल** **3. रू0 35.01 से रू0 55.00 तक एक्स आसवनी मूल्य पर ....रू0 90.00 प्रति बोतल** **4. रू0 55.01 से 75.00तक एक्स आसवनी मूल्य पर ....रू0 102.00 प्रति बोतल** **5. रू0 75.01 से 150.00 तक एक्स आसवनी मूल्य पर ....रू0 132.00 प्रति बोतल** **6. रू0 150.01 से रू0 300.00तक एक्स आसवनी मूल्य पर ....रू0 144.00 प्रति बोतल** **7. रू0 300.01 से 450.00 तक एक्स आसवनी मूल्य पर ....रू0 180.00 प्रति बोतल** **8. रू0 450.00 से अधिक एक्स आसवनी मूल्य पर ....रू0 240.00 प्रति बोतल** **(ख)** एफ0एल0–2 से बीयर तथा वाईन की निकासी पर न्यूनतम गारन्टीड अभिकर की कोई धनराशि देय नहीं होगी।

5 **सैन्य कैन्टीनों द्वारा बिक्री पर ड्यूटी तथा एसेस्मेन्ट फीस की दर :–**

वर्ष 2009–10 के लिये एफ0एल0–2ए अनुज्ञापन (थोक बिक्री) के लिये रू0 5,000/–लाईसेन्स फीस निर्धारित की जाती है।

(एक) एक्साइज ड्यूटी की दर निम्न प्रकार होगी :–

(अ) भारत निर्मित विदेशी मदिरा (रम छोड़कर)

वर्ष 2008–09 की तरह सिविल मार्केट के बराबर रू0 58.00 प्रति ए0एल0

(ब) रियायती रम (कोई परिवर्तन नही) रू0 45.00 प्रति ए0एल0

(स) बियर – एफ0एल0–9 के अन्तर्गत सिविल मार्केट (एफ0एल0–5डी) के समान अभिकर की दर पर देय होगी।

(5 प्रतिशत एल्कोहल तीव्रता की बियर पर 15/– रू0 प्रतिबल्क लीटर तथा 5 प्रतिशत से अधिक व 8 प्रतिशत तक एल्कोहल तीव्रता की बियर पर 28/– रू0 प्रति बल्क लीटर रहेगी।)

(दो) एफ0.एल0–9/9ए निश्चित लाईसेन्स फीस वार्षिक रू0 100/– देय होगी व विदेशी मदिरा , रियायती रम तथा बियर की बिक्री पर निम्नानुसार असेसमेन्ट फीस देय होगी :–

(1) भारत निर्मित विदेशी मदिरा(व्हिस्की,ब्रान्डी,जिन)...रू0 32/–प्रति बोतल।

(2)रियायती रम...20/–रू0 प्रति बोतल

(3) बियर(5 प्रतिशत तक अल्कोहल युक्त)... 2/–रू0 प्रति बोतल

(4) बियर(5 प्रतिशत से अधिक 8 प्रतिशत तक अल्कोहल युक्त)...................3/–रू0 प्रति बोतल

6 भारतीय सेना एवं भारत तिब्बत सीमा पुलिस को दी जाने वाली रम–**उत्तराखण्ड** राज्य के भारत तिब्बत सीमा क्षेत्र में तैनात भारतीय सैनिकों एवं भारत तिब्बत सीमा पुलिस को प्रतिवर्ष दी जाने वाली कमशः 1,80,180 लीटर एवं 41,168 लीटर की सीमा तक रम शासकीय अधिसूचना संख्या 27/आब/2002/दिनांक 14.1.2002 के अन्तर्गत इस सीमा तक अभिकर मुक्त रहेगी ।

7 **(क)** विदेशी मदिरा/बियर के थोक (एफ0एल0–2/2बी/2डब्लू) अनुज्ञापन :–

वर्ष 2009–10 में प्रदेश में थोक विदेशी मदिरा व्यापार हेतु एफ0एल0–2 के लिये रू0 2.50 लाख, एफ0एल0–2बी एवं एफ0एल0–2(डब्लू)के लिये रू 1.25 लाख रजिस्ट्रेशन फीस देनी होगी। इसके अतिरिक्त एफ0एल0–2/2बी/2(डब्लू) की लाईसेन्स फीस प्रति पेटी निम्नानुसार वसूल की जायेगी :–

1. प्रदेश के प्रत्येक जनपद के लिये एफ0एल0–2 हेतु लाईसेन्स फीस विदेशी मदिरा/बियर/वाईन की प्रत्येक पेटी की बिक्री पर उस पेटी के एक्स आसवनी मूल्य के 12 प्रतिशत के बराबर प्रति पेटी अग्रिम वसूल की जायेगी।

2. प्रदेश के प्रत्येक जनपद के लिये एफ0एल0–2बी/डब्लू हेतु लाईसेन्स फीस बियर की प्रत्येक पेटी की बिक्री पर उस पेटी के एक्स आसवनी मूल्य के 12 प्रतिशत के बराबर प्रति पेटी अग्रिम वसूल की जायेगी।

" ऐसी भारतीय इकाईयां, जो आयातित ब्रॉड्स की स्कॉच व्हिस्की की बॉटलिंग भारत में करती हैं तथा जिन्हें भारत में उक्त स्कॉच की बिक्री करने के पूर्ण अधिकार प्राप्त हैं, इन्हें निर्माता माना जाएगा तद्नुसार इन्हें बिक्री हेतु थोक अनुज्ञापन प्रदान किया जायेगा।"

(ख) विदेशी मदिरा की निकासी पर एसेसमेन्ट फीस की राशि निम्नानुसार निर्धारित की जायेगी:–

क्र0 स0	प्रति बोतल एक्स आसवनी मूल्य	एफ0एल0–2/2बी स्तर पर प्रति पेटी एसेसमेन्ट फीस का प्रस्तावित भार (रूपयेा में)
1	रू0 25.00 तक	80/–
2	रू0 25.01 से रू0 35.00 तक	115/–
3	रू0 35.01 से रू0 55.00 तक	125/–
4	रू0 55.01 से 75.00 तक	140/–
5	रू0 75.01 से 150.00 तक	150/–
6	रू0 150.01 से 300 तक	160/–
7	रू0 300.01 से 450.00 तक	180/–
8	450 से ऊपर	200/–

9	बियर (650एम0एल0 की 12 बोतल अथवा 325 एम0एल0 की 24 बोतल की पेटी) एवं वाईन (750एम0एल0 की 12 बोतल की पेटी) ।	60/–
10	500 एम0एल0 के 24 केन की पेटी ।	92.31/–
11	330 एम0एल0 के 24 केन की पेटी।	60.93/–

जिला आबकारी अधिकारी उपरोक्तानुसार प्रति पेटी देय एसेस्मेन्ट शुल्क की राशि फुटकर अनुज्ञापी से अग्रिम जमा कराने के उपरान्त निकासी की अनुमति देंगे।

8 प्रदेश के बाहर के विदेशी मदिरा के निर्माता विदेशी मदिरा के केवल अपने ब्रान्डस ही उत्तराखण्ड स्थित अपने बाण्ड लाईसेन्सों एवं एफ0एल0–2/2बी लाईसेन्सों के माध्यम से उत्तराखण्ड में बेच सकेंगे। बाण्ड अनुज्ञापन की लाईसेन्स फीस का निर्धारण बिक्री की श्रेणी के अनुसार स्लैबवार होगा। बाण्ड लाईसेन्सो की फीस वर्ष 2009–10 निम्नानुसार होगी :–

1– बी0डब्लू0एफ0एल0–2 (बाण्ड) (विदेशी मदिरा बियर एवं वाईन) प्रदेश के बाहर की आसवनियों के लिए	वर्ष या वर्ष के भाग के लिये
1. 50,000 पेटियों तक	रू0 4,20,000/–
2. 50,001 से 1,00,000 पेटियों तक	रू0 6,00,000/–
3. 1,00,000पेटियें से अधिक	रू0 8,40,000/–
2–बी0डब्लू0एफ0एल0–2बी (बाण्ड) (केवल बियर के लिये) प्रदेश के बाहर की ब्रिवरीज के लिए	वर्ष या वर्ष के भाग के लिए
1. 50,000 पेटियों तक	रू0 2,16,000/–
2. 50,001 से 1,00,000 पेटियों तक	रू0 3,00,000/–
3. 1,00,000से अधिक	रू0 3,60,000/–
बी0डब्लू0एफ0एल0–2 एस(बाण्ड)(केवल स्कॉच के लिये)	वर्ष या वर्ष के भाग के लिए
1. 600 पेटी की बिक्री तक।	रू0 66,000/–(छियासठ हजार)
2. 600 पेटी से ऊपर ।	प्रत्येक 100 पेटी पर रू0 13,200/–अतिरिक्त लाईसेन्स फीस देय होगी''
4–बी0डब्लू0एफ0एल0–2 (डब्लू)(केवल वाईन के लिये)	वर्ष या वर्ष के भाग के लिए रू0 1,25,000/–/–(एक लाख पच्चीस हजार मात्र)
(5) एफ0एल0–1(प्रदेश की आसवनियों को स्वंय निर्मित विदेशी मदिरा एवं बियर एफ0एल0–2 को बेचने हेतु देय लाईसेन्स)	वर्ष या वर्ष के भाग के लिए रू0 1,20,000/–(एक लाख बीस हजार मात्र)

9 (क) बार एवं क्लब बार लाईसेन्स :–

बार एवं क्लब बार अनुज्ञापन/परमिट के फलस्वरूप दी जाने वाली विदेशी मदिरा की निकासी पर ड्यूटी की दर निम्नानुसार होगी :–

1 . रू0 35.01 से रू0 55.00 तक एक्स आसवनी मूल्य पर ....रू0 113.00 प्रति बोतल

2. रू0 55.01 से 75.00तक एक्स आसवनी मूल्य पर ....रू0 128.00 प्रति बोतल

3. रू0 75.01 से 150.00 तक एक्स आसवनी मूल्य पर ....रू0 165.00 प्रति बोतल

4. रू0 150.01 से रू0 300.00तक एक्स आसवनी मूल्य पर ....रू0 180.00 प्रति बोतल

5. रू0 300.01 से 450.00 तक एक्स आसवनी मूल्य पर ....रू0 225.00 प्रति बोतल

6. रू0 450.00 से अधिक एक्स आसवनी मूल्य पर ....रू0 300.00 प्रति बोतल

(ख) उक्त दरों से निम्न दरों की विदेशी मदिरा की बिक्री बार एवं क्लब बार परमिट धारको के परिसरों में प्रतिबन्धित रहेगी।

(ग) 20,000 बोतल वार्षिक की सीमा से अधिक प्रत्येक 10 प्रतिशत अधिक बोतलों की निकासी पर रू0 5/– प्रति बोतल की बढ़ी दर से देय होगी।

10 (क) **वित्तीय वर्ष 2009–10 में एफ0एल0–2/2बी के अन्तर्गत 8 प्रतिशत तक अल्कोहल तीव्रता वाली अल्कोहलिक ब्रिवरेजस् को बेचने की अनुमति दी जायेगी, जिनमें उपस्थित अल्कोहल की मात्रा पर रू0 58/– प्रति एल्कोहल लीटर की दर से उत्पाद शुल्क वसूला जायेगा।**

एफ0एल0एम0–3 की लाईसेन्स शुल्क की दरें निम्नानुसार होंगीः–

(एक) पांच लाख बोतल(750 एम0एल0) तक भराई क्षमता की विनिर्माणशाला के मामले में।	रूपये 3,06,800/–(तीन लाख छः हजार आठ सौ मात्र) प्रतिवर्ष या उसके भाग के लिये।
(दो) पांच लाख से अधिक परन्तु दस लाख बोतल(750 एम0एल0) तक भराई की क्षमता की विनिर्माणशाला के मामले में।	रूपये 6,13,600/–(छः लाख तेरह हजार छः सौ मात्र)प्रतिवर्ष या उसके भाग के लिये।
(तीन)दस लाख से अधिक परन्तु पन्द्रह लाख बोतल(750 एम0एल0) तक भराई क्षमता की विनिर्माणशाला के मामले में।	रूपये 9,20,200/– (नौ लाख बीस हजार दो सौ मात्र) प्रतिवर्ष या उसके भाग के लिये।
(चार) पन्द्रह लाख से अधिक परन्तु पच्चीस लाख बोतल(750 एम0एल0) तक भराई क्षमता की विनिर्माणशाला के मामले में।	रूपये 18,40,300/– (अठारह लाख चालीस हजार तीन सौ मात्र) प्रतिवर्ष या उसके भाग के लिये।
(पांच) पच्चीस लाख से अधिक परन्तु पचास लाख बोतल(750 एम0एल0) तक भराई क्षमता की विनिर्माणशाला के मामले में।	रूपये 27,60,400/– (सत्ताईस लाख साठ हजार चार सौ मात्र) प्रतिवर्ष या उसके भाग के लिये।
(छः) पचास लाख से अधिक परन्तु पिचछतर लाख बोतल(750 एम0एल0) तक भराई क्षमता की विनिर्माणशाला के मामले में।	रूपये 41,80,000/– (इकतालीस लाख अस्सी हजार मात्र) प्रतिवर्ष या उसके भाग के लिये।
(सात) पिच्छत्तर लाख से अधिक परन्तु एक करोड बोतल(750 एम0एल0) तक भराई क्षमता की विनिर्माणशाला के मामले में।	रूपये 55,00,000/– (पछपन लाख मात्र) प्रति वर्ष या उसके भाग के लिये।
(आठ) एक करोड से अधिक परन्तु एक करोड पच्चीस लाख बोतल(750 एम0एल0) तक भराई क्षमता की विनिर्माणशाला के मामले में।	रूपये 68,75,000/– (अड़सठ लाख पिच्छत्तर हजार मात्र) प्रति वर्ष या उसके भाग के लिये।
(नौ) एक करोड पच्चीस लाख बोतलो से अधिक परन्तु एक करोड़ पचास लाख बोतल(750 एम0एल0) तक भराई क्षमता की विनिर्माणशाला के मामले में।	रूपये 82,50,000/– (बयासी लाख पचास हजार मात्र) प्रति वर्ष या उसके भाग के लिये।

(ख) एफ0एल0–3 अनुज्ञापन के अन्तर्गत आसवक को न्यूनतम 1,00,000/– रूपये प्रति वर्ष की दर से बाटलिंग फीस निम्न दरों पर विदेशी मदिरा की बोतलों की भराई पर देय होगी :–

क्र0स0	बोतल का प्रकार	एफ0एल0–3 के अन्तर्गत	
		राज्य मे बिक्री हेतु	राज्य के बाहर बिक्री हेतु (गत वर्ष से 5 प्रतिशत कम)
1.	1000 मिलीलीटर बोतल	प्रतिबन्धित	1.90 रू0 प्रति बोतल
2.	750मिलीलीटर बोतल	2.40 रू0 प्रति बोतल	1:43 रू0 प्रति बोतल
3.	500 मिलीलीटर बोतल	प्रतिबन्धित	0.95 रू0 प्रति बोतल
4.	375 मिलीलीटर अद्धा	1.20 रू0 प्रति अद्धा	0.72 रू0 प्रति अद्धा
5	180मिलीलीटर पौव्वा	0.84 रू0 प्रति पौव्वा	0.57 रू0 प्रति पौव्वा
6	90 मिलीलीटर पैक	0.42 रू0 प्रति पैक	0.29 रू0 प्रति पैक

(ग) एफ0एल0–3ए व एफ0एल0एम0–3 अनुज्ञापन के अन्तर्गत एफ0एल0–3बी न्यूनतम 1,00,000/–प्रति वर्ष की दर से विदेशी मदिरा की बोतल भराई पर (बाटलिंग फीस) निम्नानुसार देय होगीः–

क0 स	बोतल का प्रकार	राज्य में बिक्री हेतु	राज्य के बाहर बिक्री हेतु (गत वर्ष से 5 प्रतिशत कम)
1.	1000मिलीलीटर बोतल	प्रतिबन्धित	1.90 रू0 प्रति बोतल
2.	750मिलीलीटर बोतल	4.80 रू0 प्रति बोतल	1.43 रू0 प्रति बोतल
3.	500मिलीलीटर बोतल	प्रतिबन्धित	0.95 रू0 प्रति बोतल
4.	375 मिलीलीटर अद्धा	2.40 रू0 प्रति अद्धा	0.72 रू0 प्रति अद्धा
5.	180मिलीलीटर पौवा	1.20 रू0 प्रति पौव्वा	0.57 रू0 प्रति पौव्वा
6.	90 मिलीलीटर पैक	0.60 रू0 प्रति पैक	0.29 रू0 प्रति पैक

(घ)एफ0एल0–3 एवं एफ0एल0–3ए अनुज्ञापन के अन्तर्गत ब्रिवरी(यवासवनी) में न्यूनतम 1,00,000/–प्रति वर्ष की दर से बियर बोतल भराई पर (बाटलिंग फीस) निम्नानुसार देय होगीः–

क स0	बोतल का प्रकार	एफ0एल0–3 हेतु	एफ0एल0–3ए हेतु	
		बाटलिंग फीस	बाटलिंग फीस	लाईसेन्स फीस
1	(1) 650एम0एल0 बोतल पर	रू0 0.60 प्रति बोतल	रू0 0.60 प्रति बोतल	रू0 0.25 प्रति बोतल
2	(2) 350एम0एल0 की बोतल पर	रू0 0.36 प्रति बोतल	रू0 0.36 प्रति बोतल	रू0 0.15 प्रति बोतल

(ड.) बियर के निर्यात पर गत वर्ष से 5 प्रतिशत कम बाटलिंग/लाईसेन्स फीस ली जायेगी, जो निम्नानुसार रहेगीः–

	बोतल का प्रकार	एफ0एल0–3 हेतु	एफ0एल0–3ए हेतु

क्र सं0		बाटलिंग फीस	बाटलिंग फीस	लाईसेन्स फीस
1	(1) 650एम0एल0 की बोतल पर	रू0 0.48 प्रति बोतल	रू0 0.48 प्रति बोतल	रू0 0.24 प्रति बोतल
2	(2) 350एम0एल0 की बोतल पर	रू0 0.29 प्रति बोतल	रू0 0.29 प्रति बोतल	रू0 0.14 प्रति बोतल

(च) नयी विन्टनरी द्वारा यदि उत्पादित वाईन का शत–प्रतिशत निर्यात किया जायेगा,तो विन्टनरी की स्थापना के पांच वर्षो तक बाटलिंग फीस नही ली जायेगी।

11 प्रदेश मे देशी मदिरा की आपूर्ति हेतु रू0 38.00 लाख लाईसेन्स फीस निर्धारित की जाती है, जिसे मुख्यालय स्तर पर जमा कराया जायेगा।

12 आसवनियों को देय पी0डी0–2 लाईसेन्स की लाईसेन्स फीस रू0 55.22/– प्रति किलोलीटर देनी होगी।

13 **(क) बार लाईसेन्स हेतु निम्नानुसार लाईसेन्स फीस ली जायेगीः–**

4. रेस्टोरेन्ट एवं तीन सितारा होटलों तक.......................................रू0 4,50,000/–(चार लाख पचास हजार रूपये) वर्ष या वर्ष के भाग के लिये।

5. चार सितारा होटलों हेतु.......................................रू0 9,00,000/–(नौ लाख रूपये) वर्ष या वर्ष के भाग के लिये।
6. पांच सितारा होटलों हेतु.......................................रू011,25,000/–(ग्यारह लाख पच्चीस हजार रूपये) वर्ष या वर्ष के भाग के लिये।

7. सीजनल पर्यटकों हेतु छः माह के लिये दिये जाने ....रू0 2,25,000/–(दो लाख पच्चीस हजार) वाले बार लाइसेंस तीन सितारा होटलों तक के स्तर के लिए

(ख) बियर बार अनुज्ञापन

(1) बियर बार अनुज्ञापन	30,000/–रू0 प्रति वर्ष या वर्ष के भाग के लिए
(2)सीजनल पर्यटकों हेतु छः माह के लिये जाने वाले बियर बार लाइसेंस	15,000/–रू0प्रति सीजन अधिकतम छः माह हेतु ।

बियर बार पर वाईन की बिकी की अनुमति प्रदान की जायेगी ।

(ग) क्लब बार परमिट

(1) ऐसे क्लब जहां सदस्यों की संख्या 100 तक हो	1,14,000/– रू0 प्रति वर्ष या वर्ष के भाग के लिए
(2) ऐसे क्लब जहां सदस्यों की संख्या 101 से 500 तक हो	1,71,000/– रू0 प्रति वर्ष या वर्ष के भाग के लिए
(3) ऐसे क्लब जहॉ सदस्यों की संख्या 500 से अधिक हो	2,27,000/–रू0 प्रति वर्ष या वर्ष के भाग के लिए

(घ) ओकेजनल बार परमिट हेतु रू0 2000/– प्रतिदिन परमिट फीस होगी। प्राइवेट बैंक्वेट (Banquet) हाल एवं होटलों को ओकेजनल बार लाईसेन्स प्राप्त करने हेतु सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। रजिस्ट्रेशन फीस रू0 1,000/– होगी।

(ड.) गत वर्ष के समान ड्राफ्ट बियर की बिक्री की अनुमति बारों/सैन्य कैन्टीनों में दी जा सकेगी।

14 आयात की दरेंः–

1.	विदेशी मदिरा (बोतलों में)	5.00 रू0 प्रति बोतल ।

	2.	विदेशी मदिरा (ब0ली0 में)	2.00 रू0 प्रति अल्कोहल लीटर।
	3.	बियर	1.00 रू0 प्रति बोतल ।
	4.	माल्ट स्प्रिट	2.00 रू0 प्रति अल्कोहल लीटर।
	5.	रेक्टिफाईड स्प्रिट	1.00रू0 प्रति एल्कोहल लीटर।
	6.	विकृत सुरा/विशेष विकृत सुरा (अ)उत्तराखण्ड स्थित औद्योगिक रासायनिक इकाईयों द्वारा विशेषतः विकृत स्प्रिट (एस0डी0एस0) व विकृत स्प्रिट (डी0एस0) आयात किये जाने पर । (Hospitals, Dispensaries and other charitable and educational institutions के लिए भी छूट पूर्ववत जारी रहेगी।)	शून्य।
		(ब)थोक व फुटकर विकेताओं तथा प्राइवेट व्यक्तियों द्वारा विशेषतः विकृत स्प्रिट (एस0डी0एस0) व विकृत स्प्रिट (डी0एस0) आयात किये जाने पर।	रू0 1.10/— (रूपये एक एवं दस पैसे मात्र) प्रति बल्क लीटर।

सबसे कम न्यूनतम प्रत्याभूत डयूटी की विदेशी मदिरा के आयात की अनुमति नही दी जायेगी।

15 निर्यात फीस की दरें

1.	शोधित आसव (पेय मदिरा अथवा औद्योगिक प्रयोजनार्थ)	2.25 रू0 प्रति बल्कलीटर ।
2.	ई0एन0ए0	2.50 रू0 प्रति बल्कलीटर ।
3	विकृत सुरा (औद्योगिक प्रयोजनार्थ)	0.50 रू0 प्रति बल्कलीटर।
4.	देशी मदिरा	0.05 रू0 प्रति एल्कोहल लीटर ।
5.	विदेशी मदिरा (बोतलों में)	2.67 रू0 प्रति एल्कोहल लीटर ।
6.	विदेशी मदिरा (ब0ली0 में)	5.00 रू0 प्रति एल्कोहल लीटर।
7.	बियर	0.05रू0 प्रति बल्क लीटर ।
8.	माल्ट स्प्रिट	0.05 रू0 प्रति एल्कोहल लीटर ।
9.	भांग	1.00 रू0 प्रति किलोग्राम ।

16 <u>लेबिल रजिस्ट्रेशन फीस (विदेशी मदिरा/बियर/वाईन)</u>

8 (अ) सी0एस0डी0आपूर्ति के लिए :—

1 **विदेशी मदिरा**:— प्रति लेबिल फीस प्रति वर्ष रू0 3300/—(तीने हजार तीन सौ मात्र)रजिस्ट्रेशन शुल्क देय होगा।

2 **बियर/वाईन** :— प्रति लेबिल फीस प्रति वर्ष रू0 1650/—(एक हजार छः सौ पचास मात्र)रजिस्ट्रेशन शुल्क लिया जायेगा।

(ब) सिविल सप्लाई हेतु विदेशी मदिरा/बियर/वाईन :—

1. विदेशी मदिरा— विदेशी मदिरा के लेबिलों के अनुमोदन के पूर्व प्रति लेबिल फीस धारितावार प्रति वर्ष रू0 8250/—(आठ हजार दो सौ पचास) (बोतल/अद्धा/पौव्वा) रजिस्ट्रेशन शुल्क देय होगा।

2. बियर/वाईन आदि — इसी प्रकार बियर/वाईन के लेबुलों के अनुमोदन के लिए प्रति लेबिल फीस प्रति वर्ष रू0 4125/—(चार हजार एक सौ पच्चीस मात्र) धारितावार रजिस्ट्रेशन शुल्क लिया

	जायेगा।
17	**आबकारी मैनुअल खण्ड–1 के भाग–2 के चैप्टर–VIII के सेक्शन–XXV के नियम–12 के अन्तर्गत आसवनी / विदेशी मदिरा की बोतलों की भराई नियमावली, 1969 (यथासंशोधित) के अन्तर्गत तथा आसवनी में किसी सेक्शन में ओवर टाईम फीस का निर्धारण निम्नवत है:–** आबकारी निरीक्षक .के लिए रू0 60.00 प्रति घण्टा । आबकारी लिपिक / उप आबकारी निरीक्षक रू0 36.00 प्रति घण्टा । आबकारी सिपाही रू0 32.00 प्रति घण्टा।
18	**शीरा पर प्रशासनिक शुल्क**

1.	राज्य की इकाईयों हेतु शीरा की बिक्री पर प्रशासनिक शुल्क	रू011 / – प्रति कुंटल
2.	उत्तर प्रदेश की अल्कोहल / शीरा पर आधारित रासायनिक उद्योगों हेतु की गयी शीरा की बिक्री पर	रू0 11 / – प्रति कुंटल
3.	उपरोक्त (2) के अतिरिक्त शीरा के निर्यात पर	रू0 15 / – प्रति कुंटल

(डा0रणबीर सिंह)
सचिव,
आबकारी,
उत्तराखण्ड शासन,
देहरादून।